



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन 1943 (श10)  
(सं० पटना 830) पटना, वृहस्पतिवार, 30 सितम्बर 2021

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

30 सितम्बर 2021

अधिसूचना संख्या 11/2021-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 141, दिनांक 30 सितम्बर 2021—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, वाणिज्य - कर विभाग की अधिसूचना संख्या 39/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 18 अक्टूबर, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 980, दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात:-

यथा :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 1 के सामने,-

- (i) कॉलम (3) में, प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित किसी कार्यक्रम के अधीन समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निः शुल्क वितरण के लिए आशयित और यूनिट अभिधानों में रखा खाद्य निर्मितियां;

- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित आईसीडीएस या इसी तरह की योजना में आपूर्ति लिए फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (प्रीमिक्स) को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (ii) कॉलम (4) में, प्रविष्टि में, “खाद्य निर्मितियों” शब्द के लिए, दोनों जगहों पर जहां वे हैं, “माल” शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
2. यह अधिसूचना 1 अक्टूबर, 2021 से लागू होगी।

[(सं०सं० बिक्री-कर/जीएसटी/विविध 2017/21-(खंड-13)11)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

30 सितम्बर 2021

एस० ओ०. 141, दिनांक 30 सितम्बर 2021 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-13)11)]

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

डॉ० प्रतिमा,

राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव ।

### ***The 30th September 2021***

#### **Notification No. 11 /2021- State Tax (Rate)**

S.O. 141, dated 30th September 2021— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 39/2017-State Tax (Rate), dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 980, dated the 18<sup>th</sup> October, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against S. No. 1, -

- (i) in column (3), for the entry, the entry “(a) Food preparations put up in unit containers and intended for free distribution to economically weaker sections of the society under a programme duly approved by the Central Government or any State Government;
- (b) Fortified Rice Kernel (Premix) supply for ICDS or similar scheme duly approved by the Central Government or any State Government.” shall be substituted;

- (ii) in column (4), in the entry, for the words “food preparations” at both the places, where they occur, the word “goods” shall be substituted;
2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of October, 2021.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-13) 11)]

By the order of Governor of Bihar,  
Dr. Pratima,  
*Commissioner State Tax-cum-Secretary.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 830-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>